कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2233 /रेनुकूट /15–37 दिनांक, रेनुकूट, दिसम्बर, 25-12- ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– **जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत** मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. आरक्षित वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षो (दिनांक–01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के संबंध में । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/Others/19811/2016)**

संदर्भः–
1–उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्र संख्या–569/81–2–2023–800(67)/2012 दिनांक–12.09.2023
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–683/11–सी– **FP/UP/Others/19811/2016)** लखनऊ दिनांक– 12.09.2023
3–उत्तर प्रदेश मे मे0 आदित्य बि़ला ग्रुप द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओ को निष्पादित /पूरा करने मे आ रही समस्याओ के समाधान के सम्बन्ध मे अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे दिनांक– 12.09.2023 को अपरान्हत 12.00 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्र संख्या–3742/81–2–2023–800(26)/2017 टी0सी0 दिनांक– 18.10.2023
4–उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्र संख्या–3980/81–2–2023–800(26)/2017 दिनांक–30.11.2023
5–अनुसचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्र संख्या–4129/81–2–2023–800(67)/2012 दिनांक–20.12.2023
6– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1538/11–सी– **FP/UP/Others/19811/2016** लखनऊ दिनांक– 21.12.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । संदर्भित पत्रो द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे विधि सम्मत प्रस्ताव प्रभाग मे उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के पत्र संख्या– 942/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 14.09.2023, पत्र संख्या– 1851/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 28.11.2023 तथा पत्र संख्या–1917/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 04.12.2023 द्वारा यूनिट हेड, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट–सोनभद्र से अनुरोध किया गया । उक्त के क्रम मे यूनिट हेड, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट –सोनभद्र ने अपने पत्र दिनांक– 19.12.2023. द्वारा आवश्यक अभिलेखो सहित आख्या प्रभाग मे उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति एवं प्रभाग की आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्ण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट–सोनभद्र को उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1252/14–बी–503/61 दिनांक– 25.04.1964 द्वारा 3.79 हे0 वन भूमि पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं

Scanned with CamScanner

ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु 25 वर्षो के लीज पर दिनांक– 01.04.1963 से 31.03.1988 तक हस्तान्तरित की गयी ।

(2) उक्त लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या– 08बी/09/324/92/एफ0सी0/407 दिनांक– 23.05.1995 द्वारा 5(पॉच) शर्तो के अधीन तथा अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–2 लखनऊ के आदेश संख्या– जी0आई0 159/14–2–95–503/1961 लखनऊ दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तो के अधीन 25 वर्षो हेतु दिनांक–01.04.1988 से 31.03.2013 तक के लिए नवीनीकरण किया गया । नवीनीकरण के संबंध मे भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेशो मे अधिरोपित शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :–

भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या– 08बी/09/324/92/एफ0सी0/407 दिनांक– 23. 05.1995 मे अधिरोपित शर्तो का विवरण ।	अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–2 लखनऊ के आदेश संख्या–जी0आई0 159/14–2–95–503/1961 लखनऊ दिनांक– 16 जनवरी 1996 मे अधिरोपित शर्तो का विवरण ।
1– वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा ।	1– उक्त संस्था भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियो को हस्तान्तरित नही करेगा ।
2– लीज की अवधि 31.3.2013 तक होगी ।	2– संस्था के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्त्यो के अधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियो द्वारा कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो अन्तिम निश्चायक तथा उक्त संस्था पर बाध्यकारी होगा, संस्था द्वारा देय होगा ।
3– वन भूमि का प्रयोग सिर्फ उपरोक्त प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य किसी कार्य हेतु नही । यदि यह पाया गया कि वन भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजनप हेतु किया जा रहा है तो स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी एवं वन भूम वन विभाग को वापस हो जायेगी ।	3– उक्त भूमि संस्था के उपयोग मे तब तक बनी रहेगी , जब तक कि संस्था को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी । यदि संस्था को उक्त भूमि अथवा उसके किस भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो संस्था के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी ।
4–वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर समतुल्य गैरवानिकी भूमि मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया जायेगा ।	4– वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओ को किसी भी समय जब वे आवश्यक सझे, प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

Scanned with CamScanner

5–उक्त गैर वानिकी भूमि को संरक्षित वन धोषित किया जायेगा ।	5– कथित भूमि लीज के नवीनीकरा के बाद भी आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी तथा उसके वर्तमान वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा ।
	6– याचक इकाई के व्यय पर समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करवाया जायेगा एवं भूमि हस्तान्तरण के पूर्व चिन्हित गैर वन भूमि को संरक्षित वन धोषित करना होगा ।
	7–वन क्षेत्र मे परियोजना मे कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनो को हानि न पहुँचायें, इसके लिए उक्त संस्था ईंधन की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगी या ईंधन की लकड़ी की कीमत उनके वेतन या मजदूरी मे से काट ली जायेगी ।
	8– वन भूमि पर खड़े वृक्षो का निस्तारण यदि कोई , हो तो उ0प्र0 वन निगम द्वारा करवाया जायेगा । यदि किसी कारणवश संस्था को खड़े वृक्ष सौंपे जाते है , तो उसका सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान उक्त संस्था से प्रापत किया जायेगा ।
	9– वन भूमि हस्तान्तरण के पूर्व भूमि का मूल्य वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी सोनभद्र से निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट वन विभाग द्वारा वसूल कर लिया जायेगा ।

भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुपालन मे संस्थान द्वारा नियमानुसार वांछित धनराशि प्रभाग मे स–समय जमा किया गया ।

(3) दिनांक– 16.04.2011 को मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, "मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल्स डिवीजन रेनुकूट को चालू हालत में उसी प्रयोजन हेतु दे दिया जाय" ।

(4) संस्थान द्वारा दिनांक– 16.04.2011 को लिये गये उक्त निर्णय के क्रम मे , मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत 3.79 हे0 वन भूमि का समान प्रयोजन हेतु उपयोग करते हुए प्रबन्ध निदेशक, आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनुकूट ने अपने पत्र संख्या–ए0बी0सी0आई0एल0/40 दिनांक– 30.03.2012 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–2301/11–सी–991 दिनांक– 09 मई 2012 द्वारा प्रमुख सचिव (वन) उ0प्र0 शासन, वन अनुभाग–2, लखनऊ को प्रेषित किया गया ।

Scanned with CamScanner

(5) उक्त नवीनीकरण प्रस्ताव के विचाराधीन रहते हुए मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल इण्डिया लि0 रेनुकूट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या– 5/2015 व 6/2015 तथा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 (इन्दौर बेंच) के समक्ष 13/2015 (Amalgamation of M/s Aditya Birla Chemicals(India) Limited with M/s Grasim Industries Limited) दाखिल किया गया "। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा दिनांक– 24 नवम्बर 2015 को तथा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 (इन्दौर बेंच) द्वारा दिनांक– 09.10.2015 को Amalgamation संबंधी आदेश पारित किया गया । उक्त आदेशो के अनुपालन में प्रश्नगत 3.79 हे0 वन भूमि का उपयोग समान प्रयोजन हेतु मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट किया जाने लगा ।

(6) मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत वन भूमि 3.79 हे0 का उपयोग समान प्रयोजन हेतु करते हुए नवीन प्रकिया के तहत भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन प्रस्ताव सं0–FP/UP/OTHERS/19811/2016 अपलोड किया गया । उक्त प्रस्ताव मे प्रभावित 3.79 हे0 वन भूमि का नवीनीकरण एवं मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को सेल डीड के आधार पर 1962 मे हस्तान्तरित हस्तान्तरित 325 एकड़ वन भूमि के प्रकरण के निस्तारण के संबंध में विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक– 03.02.2021 को बैठक आहुत की गयी । उक्त आहुत बैठक के कार्यवृत्त दिनांक– 03.02.2021 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 की (गाईड लाइन एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर– 5 के प्रस्तर–5.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक– 29.01.2019 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर Ex-Post Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किया गया ।

(7) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उक्त कार्यवृत्त दिनांक– 03.02.2021 के क्रम मे मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा 3.79 हे0 वन भूमि का ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/OTHERS/19811/2016 Ex-Post Facto के अन्तर्गत अपने पत्र दिनांक– 18.04.2022 द्वारा प्रभाग मे उपलब्ध कराया गया । उक्त प्रस्ताव को प्रभाग एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जवलायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– 399/11–सी– FP/UP/OTHERS/19811/2016 लखनऊ दिनांक– 29 जुलाई 2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित किया गया ।

(8) प्रश्नगत प्रकरण मे **अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–2 लखनऊ के आदेश संख्या–जी0आई0 159/14–2–95–503/1961 लखनऊ दिनांक– 16 जनवरी 1996 मे अधिरोपित शर्त संख्या– 1 मे यह अंकित है कि** "उक्त संस्था भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियो को हस्तान्तरित नही करेगा" ।

यहाँ यह उल्लेख करना है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा शर्त संख्या–1 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग कथित प्रयोजन ही मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा किया जा रहा है, किन्तु मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा हस्तान्तरण से पूर्व कोई अनुमति प्राप्त नही की गयी जो उक्त शर्त का आंशिक उल्लंधन होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या– 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक– 29.01.2018 द्वारा जारी निर्देशो के अनुपालन मे पैनल एन0पी0वी0 05(पॉच) गुना का आंकलन करते हुए आकलन प्रमाण पत्र /वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित कर ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–

Scanned with CamScanner

FP/UP/OTHERS/19811/2016 मे अपलोड कराते हुए उच्च स्तर के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी है ।

(9) इस प्रकार प्रकरण प्रश्नगत प्रकरण मे उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार विधि सम्मत प्रस्ताव संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर उच्च स्तर के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जा चुकी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण मे उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक– 03.02.2021 को दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे उपरोक्तानुसार प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 मे उल्लिखित प्राविधानो के तहत भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार के स्तर से प्रदान किये जाने के संबंध मे अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियो मे ।

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– 2283 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा मे उनके संदर्भित पत्र दिनांक– 12.09.2023 एवं दिनांक– 21.12.2023 के क्रम मे ।

2– यूनिट हेड, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को उनके पत्र दिनांक– 19.12.2023 के क्रम मे सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner